भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5258

24 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कर्नाटक में नारियल उत्पादकों के समक्ष आ रही समस्याएं

5258. डॉ. सी. एन. मंजूनाथः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को कर्नाटक राज्य में नारियल उत्पादकों को पेश आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ब्लैक हेडेड कैटरपिलर (बीएचसी), रगोज व्हाइटफ्लाई, रेड पाम वीविल जैसे कीटों और नारियल की फसलों में स्टेम ब्लीडिंग और लीफ ब्लाइट जैसी बीमारियों से निपटने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है और नारियल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) के अंतर्गत नारियल की फसल शामिल है;

(घ) क्या सरकार समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के अंतर्गत नारियल की फसल को शामिल करने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार आगामी फसल मौसम के दौरान कर्नाटक में आम किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए मूल्य कमी भुगतान योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) शुरू करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): सरकार कर्नाटक राज्य सहित पूरे देश में नारियल उत्पादकों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न उपाय कर रही है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण उपाय हैं-कीटों और रोगों जैसे कि ब्लैक हेडेड कैटरपिलर (बीएचसी), रूगोस व्हाइटफ्लाई, रेड पाम वीविल, स्टेम ब्लीडिंग और लीफ ब्लाइट जैसे कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम करना और नारियल की उत्पादकता में सुधार करना। सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू) ने कर्नाटक में नारियल के प्रमुख कीटों और रोगों का आकलन करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप (2024) और एक केंद्रीय एक्सपर्ट टीम (2025) का गठन किया। इसमें पाया गया कि नारियल के लगभग 12.2-14.7% क्षेत्र में कीट एवं रोग व्याप्त हैं और उपयुक्त प्रबंधन उपायों की सिफारिश की गई।

- पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्नाटक में मुख्य रूप से उत्पादकता सुधार और कीट एवं रोग प्रबंधन पर केंद्रित करते हुए, क्षेत्र-उन्मुख योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 174.55 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है।

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) ने पिछले पांच वर्षों में कीट एवं रोग प्रबंधन से संबंधित 144 कार्यक्रम और वर्ष 2025-26 में 16 कार्यक्रम कर्नाटक में आयोजित किए।

- मांड्या स्थित सीडीबी के प्रदर्शन-एवं-बीज उत्पादन फार्म (डीएसपी) ने पिछले पांच वर्षों के दौरान नारियल के ब्लैक हेडेड कैटरपिलर को नियंत्रित करने के लिए 11.27 लाख जैविक नियंत्रण एक्टोपैरासिटॉइड गोनियोज़स नेफेंटिडिस का उत्पादन और वितरण किया।

- नारियल प्रौद्योगिकी मिशन योजना के तहत, सीडीबी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान कीट और रोग प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु कर्नाटक में 5 परियोजनाओं को 1.06 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की।

- वर्तमान वर्ष 2025-26 के दौरान, कर्नाटक में 'नारियल आधारित फसल प्रणाली के माध्यम से उत्पादकता सुधार' (3757 हेक्टेयर) के लिए 10.89 करोड़ रुपये और कीट एवं रोग प्रबंधन पर विशेष जोर देने के साथ पुनर्रोपण एवं संरक्षण (1000 हेक्टेयर) के लिए 4.52 करोड़ रुपये जारी किए गए।

(ग): सरकार ने खरीफ 2016 से उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) शुरू की है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से फसल हानि/क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और किसानों की आय को स्थिर करना है। यह योजना राज्यों और किसानों दोनों के लिए स्वैच्छिक है। सभी इच्छुक किसान इस योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। कर्नाटक राज्य वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत से ही इस योजना को कार्यान्वित कर रहा है।

(घ): नारियल, बागवानी फसल होने के कारण, समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) में शामिल है।

(ङ): किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए, सरकार पीएम-आशा योजना के अंतर्गत बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) कार्यान्वित कर रही है। यह योजना एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के दायरे में न आने वाली शीघ्र नाशवान कृषि और बागवानी वस्तुओं के लिए है, ताकि अधिक उत्पादन और कीमतों में गिरावट के समय मजबूरी में बिक्री को रोका जा सके। यह योजना तब कार्यान्वित होती है जब बाजार मूल्य पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में कम से कम 10% गिर जाता है। यह योजना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर कार्यान्वित होती है, जो नुकसान को 50:50 के अनुपात में साझा करते हैं (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25 के अनुपात में)। इस योजना में भावांतर भुगतान और उत्पादक क्षेत्रों से उपभोक्ता क्षेत्रों तक टीओपी फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) के परिवहन और भंडारण के लिए सहायता का प्रावधान भी शामिल है।
